न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 78/2001

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 128 राज.भू. राजस्व अधि.1956

निर्णय दिनांक :–15.11.2019

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 128 इस आशय का पेश किया है कि ग्राम नींदड तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि ख0नं0 841 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि जिला कलक्टर, जयपुर ने दिनांक 12.3.73 के अपने आदेश द्वारा प्रार्थी को 33/11 के.वी. उप केन्द्र स्थापित करने के लिये अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड(तृतीय) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जयपुर को आवंटित की और आवंटित भूमि का कब्जा संभला दिया। उक्त आवंटन आदेश की क्रियान्विति में नामान्तकरण सं0 25 प्रार्थी के नाम तस्दीक किया जाकर उक्त 10 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम अंकित की गयी। ख0नं0 481 का कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा है यद्यपि नामान्तकरण सं0 25 की पुश्त पर उस 10 बीघा भूमि की तरमीम अंकित की गयी परन्तु तहसील में जो नक्शा है उसमें ख0नं0 481 की तरमीम नहीं की गयी और इस प्रकार जो 10 बीघा भूमि प्रार्थी को आवंटित की गयी उसे तहसील के नक्शे में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। राजस्व भू–अभिलेखों में प्रार्थी का नाम दर्ज है।

खसरा नम्बर 481 की शेष भूमि चूंकि राजस्व भू–अभिलेखों में सिवाय चक दर्ज थी और जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमाओं में आ रही थी इसलिये शेष भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित कर दिया गया। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि में 33/11 के.वी. सब स्टेशन का पक्का निर्माण कराया जिस निर्माण में दो पक्के कमरे,

एक हॉल, एक बरामदा एवं सब स्टेशन के स्वीचयार्ड का निर्माण शामिल है। उक्त भूमि में विद्युत पोल खड़े किये जाकर इन कमिंग व आउट गोइंग लाईन्स खींची जाकर विद्युत सप्लाई की जा रही है और इस प्रकार उक्त आवंटित भूमि पर केवल मात्र प्रार्थी का कब्जा है और प्रार्थी ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी को आवंटित उपरोक्त वर्णित 10 बीघा भूमि का राजस्व नक्शें में स्पष्ट तरमीम अंकित की जाये और सीमायें निर्धारित कर दी जाये ताकि उक्त भूमि की सीमाओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद कभी उत्पन्न ना हों।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 481 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से प्रार्थी को आवंटित उपरोक्त वर्णित 10 बीघा का स्पष्ट सीमांकन कर राजस्व नक्शे में स्पष्ट तरमीम एवं अमल दरामद अंकित की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। अप्रार्थी सं0 2 का प्रार्थना पत्र जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब इस प्रकार है कि उक्त ख0नं0 481 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का प्रार्थी को कोई कब्जा सभंला दिया हो। यहां यह तथ्य स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि उक्त मद में लिखी गई इबारत अगर एक बार सही भी मान ली जावे तो जिलाधीश महोदय हो जे.डी.ए. को अधिकृत भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को अलाटमेंट करने का कोई अधिकार नहीं था चूंकि उक्त भूमि राजकीय भूमि (सवाई चक) की भूमि थी और धारा 54 जे.डी.ए. के अंतर्गत जे.डी.ए. उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार टीनेन्सी काबिज था। अगर जिलाधीश महोदय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की भी है तो कानूनन गलत होने की वजह से प्रार्थी को कोई हक नहीं है कि वह उक्त भूमि पर किसी प्रकार की तरमीम करवायें। राजस्व भू अभिलेख में प्रार्थी का नाम दर्ज होना कानूनन गलत था इसलिये भी प्रार्थी का नाम राजस्व भू अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य, बनावटी, मनगढन्त एवं आधारहीन दर्ज होने की वजह से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार आमेर से रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्रांकः कोर्ट/12/2012 दिनांक 19.11.12 के द्वारा प्राप्त की गई। रिपोर्ट इस प्रकार है कि ग्राम नींदड के हाल ख0नं0 806 रकबा 0.14 है0 किस्म चरागाह, ख0नं0 809 रकबा 3.37 है0 किस्म चरागाह वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 820 में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में ख0नं0 806 सम्पूर्ण व ख0नं0 809 के आंशिक भाग

में विद्युत सब स्टेशन बना हुआ है तथा जे.वी.एन.एल. का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। वर्तमान राजस्व नक्शे में ख0नं0 809 में कोई उक्त बाबत तरमीम नहीं है। ख0नं0 806 व 809 में विद्युत ग्रेड के कमरे व बरामदा भी बना हुआ है तथा पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनी हुयी है। प्रकरण में पूर्व नामान्तकरण सं0 25 भू–प्रबंध विभाग की कार्यवाही से पूर्व का है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जयपुर विद्युत वितरण लि0 को श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा किये गये भूमि आवंटन आदेश, नामान्तकरण, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मननी किया। प्रकरण वर्ष 2001 से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु विचाराधीन है। तहसीलदार आमेर द्वार आदिनांक तक इस क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की है। श्रीमान् जिला कलक्टर के आवंटन आदेश मार्च 73 के खारिज होने बाबत व उसके नामान्तकरण के अप्रभावी होने के कोई तथ्य तहसील द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है। केवल दस्तावेजों का अभाव बताया है। जबकि आवंटन आदेश में राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को आदेशित किया है कि उक्त दस्तावेजों अनुसार नामान्तकरण हुआ। तहसीलदार आमेर का यह दायित्व था कि वह उक्तानुसार रिकॉर्ड इन्द्राज करता। गौरतलब है कि उक्त आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण के भूमि परिक्षेत्र में आने से पूर्व का है तथा आवंटन के खारिज होने के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटन आदेश के संबंध में अपने स्तर से दस्तावेज व नामान्तकरण की प्रतियां प्राप्त करें। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश या आवंटन निरस्त नहीं हुआ हो तो मुताबिक आवंटन आदेश व नामान्तकरण के राजस्व जमाबंदी व नक्शें में तरमीम करें। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक 15.11.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.06.10 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: